(Y3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
11/2019	22/02/2019	12/05/2025

1. माधोलाल पुत्र लाला मीणा उम्र 72 वर्ष निवासी नटाटा, तह0 जमवारामगढ।
2. मूलचन्द पुत्र लाला मीणा उम्र 65 वर्ष निवासी नटाटा, तह0 जमवारामगढ।
3. शिमला पत्नि स्व0 प्रभात मीणा उम्र 65 वर्ष निवासी नटाटा, तह0 जमवारामगढ।
4. रामकुवार पुत्र स्व0 प्रभात मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी नटाटा, तह0 जमवारामगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुण्डा पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी नटाटां तहसील जमवारामगढ।
2. मूलचन्द पुत्र रामू जाति मीणा निवासी नटाटा तहसील जमवारामगढ।
3. रामू पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी नटाटा तहसील जमवारामगढ।
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्दा जाति मीणा निवासी नटाटा तहसील जमवारामगढ।(नाम हजफ)
5. रामपाल पुत्र चतरू जाति मीणा निवासी नटाटा तहसील जमवारामगढ। (नाम हजफ)
6. नानगराम पुत्र चतरू जाति मीणा निवासी नटाटा तहसील जमवारामगढ।
7. मूलचन्द पुत्र श्योबक्श जाति मीणा निवासी नटाटा तहसील जमवारामगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :– वकील प्रार्थीगण।
श्री अशोक कुमार शर्मा :– वकील अप्रार्थी सं0 7

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 454 रकबा 1.38है0 वाकै ग्राम नटाटा, पटवार हल्का नटाटा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि के हाल खसरा नम्बर 454 रकबा 1.38है0 जिसकी मौके व गत नक्शा के विपरीत तरमीम की गई है। जिसके गत खसरा नम्बर 454 रहे है जो तरमीम शुदा नक्शा था तथा एकीकरण संवत 2018 के समय इसके पूर्व के खसरा नम्बर 1230, 1231, 1237मिन, 1242, 1243 , 1247मिन कुल रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा थी। जिसके एकीकरण संवत 2018 में नये खसरा नम्बर 454 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा कायम कर नक्शा तरमीम की गई जिसका हाल एकीकरण संवत 59 से 60 के समय नक्शा बनाते समय गत खसरा नम्बर 454 के मुताबिक खसरा नम्बर 454 ही रखा व नक्शा उसी अनुरूप जो तरमीम थी नही किया गया व रकबा से कम तरमीम की गई जो लगभग 4 बीघा है। जबकी जमाबन्दी 5 बीघा 9 बिस्वा की है जिसका पूर्व नक्शा भी 5 बीघा 9 बिस्वा का बना हुआ था गत नक्शें मे से 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि कम कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का नक्शा संकुचित कर दिया जो पूर्व नक्शें भाती नक्शा दुरूस्त कर जमाबन्दी में दर्ज रकबे के मुताबिक नक्शा तरमीम किया जाना आवश्यक है जिसके प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा तहसील में हाल खसरा नम्बर 454 की नकल प्राप्त की व सेटलमेंट से भी हाल खसरा नम्बर 454 की नकल प्राप्त की जिन दोनों नक्शों में अन्तर होने से प्रार्थीगण ने गत खसरा नम्बर 454 के नक्शें की नकल लेकर उसका मिलान किया तो प्रार्थीगण की खातेदारी का हाल नक्शा गत खातेदारी नक्शे से संकुचित पाया गया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी के लगवा स्थित खसरा नम्बर 469 व 455 में प्रार्थीगण की भूमि को सम्मिलित कर उक्त खसरा नम्बर का नक्शा बढा दिया गया जो कानूनन

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

गलत है जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 454 के संकुचित नक्शें को जमाबन्दी रकबे अनुसार रकबा बरारी कर नक्शा दुरूस्त किया जावें। मौके पर प्रार्थीगण काबिज है प्रार्थीगण गत खसरा नम्बर 454 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के अनुसार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 454 का जो नया नक्शा बनाया गया है। वह पूर्व तरमीम से भिन्न कर हाल नक्शा गलत तरमीम कर दी गई जबकि भू प्रबंध कर्मचारियों को पूर्व तरमीम शुदा खातेदारी की पूर्व तरमीम से भिन्न नक्शा तरमीम कर नक्शा संकुचित करने का कोई अधिकार नही है जबकि प्रार्थीगण को अपने रकबे मुताविक नक्शा दुरूस्त करवाने पूण्र अधिकार है। प्रार्थीगण के गत खसरा नम्बर 454 के कायम हाल खसरा नम्बर 454 कायम किये गये है के नवीन नक्शें की तरमीम को दुरूस्त कर जमाबन्दी में दर्ज रकबे के मुताविक पूर्व नक्शा तरमीम के अनुरूप हाल खसरा नम्बर 454 का नक्शा दुरूस्त कर रकबे मुताबिक गत नक्शें अनुरूप नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी रजि0 ए0डी0 से करवाई गई। अप्रार्थीगण सं0 1, 2, 3, 6 बावूजद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1, 2, 3, 6 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं0 7 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं0 7 ने दिनांक 20.05.24 को पेश कर निवेदन किया कि मिन उत्तरदाता की भूमि में प्रार्थीगण की भूमि का कोई अंश खसरा नम्बर 455 का रकबा नक्शें में बढा हुआ है। वास्तविकता यह है कि मिन उत्तरदाता कि भूमि खसरा नम्बर 455 के नवीन नक्शें व पुराने नक्शें में दुरूस्त करने पर मिन उत्तरदाता कि भूमि का नक्शा संकुचित हो जाता है जो कि पूर्णत विधि विरूद्व है। प्रार्थीगण एवं मिन उत्तरदाता दोनों के नवीन खसरानम्बर 454, 455 के नक्शें रकबा बरारी करते हुए दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। मिन उत्तरदाता एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 455, 454 का नवीन नक्शा पूर्व नक्शें अनुसार एवं पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है क्योकि भू प्रबंधन विभाग को मिन उत्तरदाता कि भूमि राजस्व नक्शें मे कम करने का कोई विधिक अधिकार नही है। मिन उत्तरदाता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 455 का नक्शा दुरूस्त करवाने का अधिकार मिन उत्तरदाता को पूर्णतः प्राप्त है। हाल किये गये सेटलमेंट में मिन उत्तरदाता के राजस्व नक्शें की तरमीम वास्तविक कब्जे अनुसार पूर्व नक्शें अनुसार नही कि गई है मिन उत्तरदाता कि भूमि प्रार्थीगण कि भूमि खसरा नम्बर 454 इत्यादि में गलत तरमीम कर दी जाती है तो मिन उत्तरदाता कि भूमि राजस्व नक्शें मे कम हो जावेगी। इसलिए आवश्यक है कि खसरा नम्बर 455, 454, 469 कि तरमीम पूर्व नक्शे के अनुसार पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त अनुसार एवं रकबा बरारी कर तरमीम दुरूस्त की जावें। अतः ग्राम नटाटा में स्थित हाल खसरा नम्बर 454, 455, 469 का नक्शा पूर्व नक्शा पूर्व नक्शा एवं पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त अनुसार रकबा बरारी करते हुए राजस्व नक्शा दुरूस्त कर दिया जावें तो अप्रार्थी/मिन उत्तरदाता को किसी प्रकार कि कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी सं0 8 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/भू0अ0 /2025/2059 दिनांक 24.03.25 द्वारा जवाव/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 8 (पैरोकार सरकार) ने जवाव मे निवेदन किया कि ग्राम नटाटा के आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 1.38है0 राजस्व रिकार्ड खातेदार 1 लगायत 6 व खसरा नम्बर 455 रकबा 0.25है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार 1 लगायत 6 तथा खसरा नम्बर 469 रकबा 0.49है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार लगायत 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम नटाटा के प्रार्थीगणों की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी के वर्तमान हाल खसरा नम्बर 454 रकबा 1.38है0 जिसमें गत खसरा नम्बर 454 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 455 के साबिक खसरा नम्बर 455 तथा खसरा नम्बर 469 के साबिक खसरा नम्बर 469 दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 454 रकबा 1.38है0 की गत एकीकरण नक्शा अनुसार किया जाता है तो खसरा नम्बर 455 खसरा नम्बर 456, 469 का जमाबन्दी में अंकित रकबा प्रभावित नही होता। खसरा नम्बर 455, 456 की तरमीम वर्तमान नक्शें में एकीकरण नक्शा अनुसार परस्पर पूर्व पश्चिम न करके उत्तर दक्षिण कर दी गई है। जिसे साविक नक्शा अनुसार दुरूस्त कर परस्पर पूर्व पश्चिम की जाती

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला-[illegible]

है तो खसरा नम्बर 455 व 456 का जमाबन्दी में अंकित रकबा प्रभावित नही होता। खसरा नम्बर 455 के उत्तर में स्थित खसरा नम्बर 425 ज0वि0प्रा0 की भूमि का जमाबन्दी में रकबा 0.10है0 दर्ज रिकार्ड है। जबकि वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 425 का रकबा 0.18है0 ज्ञात होता है। अतः तरमीम दुरूस्ती से खसरा नम्बर 425 का जमाबन्दी मे अंकित रकबा की प्रभावित नही होता है। खसरा नम्बर 460 रकबा 1.29है0 का वर्तमान नक्शा मे रकबा बरारी करने पर रकबा 1.38है0 ज्ञात होता है। अतः साबिक नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 454 की तरमीम दुरूस्ती की जाती है तो खसरा नम्बर 460 का भी जमाबन्दी में अंकित रकबा प्रभावित नही होता है।

बहस वकील उभय पक्षों एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने तथा बहस का मनन करने पर पाया कि ग्राम नटाटा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 454 के वर्तमान नक्शें को गत नक्शें अनुसार दुरूस्त किया जाता है तो खसरा नम्बर 460 के जमाबन्दी में अंकित रकबा प्रभावित नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम नटाटा, पटवार हल्का नटाटा, तहसील जमवारामगढ में स्थित उक्त वादांकित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 454 के हाल नक्शा तरमीम को गत खसरा नम्बर 454 के नक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर